

| | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|

प्रार्थना पत्र संख्या 65/2024 GCMS 2024/149

अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उनवानी घीसाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार खेतड़ी

11.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्रांक भू0अ0/2024/2070 दिनांक 05.06.2024 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी के पिता के नाम की त्रुटि न तो भू प्रबन्ध विभाग की है तथा न ही कोई लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थी के पिता का वर्तमान नाम जमाबन्दी में विरासत नामान्तरकरण से दर्ज हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :-

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अरवीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सविता शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

